न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 09 / 2019 अपील (GCMS 2019/00010)
पंजीयन दिनांक– 26 / 02 / 2019
निर्णय दिनांक– 20 / 08 / 2024

1. मोहम्मद शेर उर्फ मोहम्मद हुसैन पिता अब्दुल सत्तार पिंजारा मुसलमान, निवासी आमेटा कॉलोनी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
2. मोहम्मद इमरान पिता अब्दुल सत्तार पिंजारा मुसलमान, निवासी आमेटा कॉलोनी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
3. मोहम्मद रईस पिता अब्दुल सत्तार पिंजारा मुसलमान, निवासी आमेटा कॉलोनी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
4. उल्फत पत्नि अब्दुल सत्तार पिंजारा मुसलमान, निवासी आमेटा कॉलोनी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. मोहम्मद रज्जा पिता अब्दुल सत्तार पिंजारा मुसलमान, निवासी आमेटा कॉलोनी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
2. अब्दुल रज्जाक पिता दाउद पिंजारा मुसलमान, निवासी बाहर का शहर, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती रहमत पुत्री दाउद पिंजारा, पत्नि जहूर हुसैन मुसलमान, निवासी भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती जेबुन पुत्री दाउद पिंजारा, पत्नि इकबाल हुसैन मंसूरी मुसलमान, निवासी पार्क के पास, मुल्लातलाई, उदयपुर।
5. आजाद हुसैन पिता मिठू मंसूरी मुसलमान, निवासी आमेटा कॉलोनी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
6. मोहम्मद इरशाद पिता अब्दुल सत्तार पिंजारा मुसलमान, निवासी आमेटा कॉलोनी, भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीण्डर, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री ऋषभ मेघवाल — अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दुर्गासिंह शक्तावत, — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 4
4. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 77/2014 अपील (राजस्व) निर्णय दिनांक 22.12.2017

निर्णय

दिनांक 20/08/2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 77/2014 अपील (राजस्व) निर्णय दिनांक 22.12.2017 के विरूद्ध दिनांक 25.02.2019 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स के पुर्वाधिकारी अब्दुल सत्तार एंव रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के विरूद्ध अपीलांट्स के पुर्वाधिकारी एवं अन्य के पक्ष में पारित नामांतरकरण संख्या 3859 दिनांक 07.04.2004 एवं 5408 दिनांक 29.09.2010 से स्वीकृत करने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 77/2014 अपील (राजस्व) निर्णय दिनांक 22.12.2017 से रेस्पोडेंट संख्या 1 की अपील स्वीकार किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.12.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:—*" उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, भीण्डर द्वारा निर्णित नामांतरकरण संख्या 3859 दिनांक 07.04.2004 एवं नामांतरकरण संख्या 5408 दिनांक 29.09. 2010 को निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, भीण्डर को आदेश दिये जाते है कि स्वर्गीय श्री दाउद द्वारा निष्पादित वसीयत पत्र दिनांक 24.08.2000 जो अपीलांट मोहम्मद रज्जा पिता अब्दुल सत्तार पिंजारा मुसलमान के पक्ष में पंजीय करवाया गया है, उसके आधार पर नये सीरे से नामांतरकरण की कार्यवाही करें। शेष नामांतरकरण यथावत रहेंगे।"*

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभ मेघवाल उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री फारूक मोहम्मद उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.08.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 मोहम्मद रज्जा ने दिनांक 20.12.2003 से अपील प्रस्तुत करने तक वसीयत की सूचना तहसीलदार को नही दी गई, जबकि धारा 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेंट संख्या 1 मोहम्मद रज्जा का विधिक दायित्व था कि वह वसीयत की सूचना तहसीलदार को देवे, जिससे भी वसीयत संदेहास्पद/फर्जी प्रतीत होती है। दाउद मोहम्मद के निधन के दिन उनके उत्तराधिकारी के कोई अंशधारी उत्तराधिकारी नहीं होने से उनके संपति का न्यायगमन

अवशेषधारी को होता है। अवशेषधारी में दो पुत्र अब्दूल सत्तार एवं अब्दुल अज्जाक तथा दो पुत्रियां रहमत एवं जेबुन है। जिससे पुरूष संतान को स्त्री संतान से दुगुना हिस्सा न्यायगमन होता है। जिससे अब्दुल सत्तार को 1/9 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 2 अब्दुल रज्जाक को 1/9 हिस्सा न्यायगमित होता है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 रहमत को 1/18 हिस्सा तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 को 1/18 हिस्सा न्यायगमित होता है। मुस्लिम विधि के अनुसार वसीयतकर्ता कुल संपति में से 1/3 हिस्से से अधिक संपति वसीयत से नहीं दे सकता है तथा वसीयत करने की दशा में वसीयतकर्ता के निधन के पश्चात् वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारियों के द्वारा वसीयत को स्वीकार करना आवश्यक है। इस तरीके से वसीयतधारक प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा अब्दुल सत्तार व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 को न तो वसीयत की सूचना दी न ही स्वीकार की गयी। ऐसी स्थिति में वसीयत पूर्ण रूप से अविधिक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील काफी देरी से प्रस्तुत की, देरी से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया है, जिससे विलम्ब को माफ किया जा सकें। मामले में काफी उलझन वाले प्रश्न है, जिसे नियमित वाद के माध्यम से ही तय किया जा सकता है, इस संक्षिप्त कार्यवाही में नहीं। मामले को देखने मात्र से ही वसीयत अविधिक है, जिसके आधार पर नामांतरकरण पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध तथ्य एवं विधि के विपरीत होकर काबिल अपास्त के है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2009 (1) Page 376, RRT 2009 (1) Page 685, RRT 2009-10 (Supp.) Page 180 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में बताया कि मूल खातेदार दाउद पिता मोहम्मद बक्ष की रेस्पोडेंट संख्या 1 ने सेवा

चाकरी करने से खुख होकर अपने जीवनकाल में विवादित भूमि में दाउद ने अपना 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 को दिनांक 24.08.2000 को वसीयत कर दिया था। दाउद की दिनांक 20.12.2003 को मृत्यु हो गई थी, परंतु दाउद की मृत्यु के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्णित रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा दाउद की भूमि को अपने नाम पर विरासत से अपीलीय नामांतरकरण दर्ज करवाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्णित रेस्पोडेंट संख्या 1 अब्दुल सत्तार का नाम आ जाने से उसने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय रेस्पोडेंट संख्या 5 आजाद हुसैन को विक्रय कर नामांतरकरण संख्या 5408 दिनांक 29.09.2010 को खुलवा लिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्णित रेस्पोडेंट संख्या 1 अब्दुल सत्तार को ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। क्योंकि दाउद द्वारा अपने जीवनकाल में ही रेस्पोडेंट संख्या 1 को उक्त वादग्रस्त भूमि की वसीयत कर दी थी जिसका ज्ञान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्णित रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 तक को भलीभांती था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामांतरकरण 3859 के निर्णय के समय रेस्पोडेंट संख्या 1 मोहम्मद रज्जा को न तो सुना एवं न ही कोई सूचना ही दी गई थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 मोहम्मद रज्जा दाउद को पौत्र होकर वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 22.12.2017 उचित एवं नियमानुसार होकर अपील अपीलांट्स खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 द्वारा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 की द्वारा अपनी बहस में बताये गये तथ्यों/उनकी बहस का समर्थन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट 7 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 22.12.2017 से पारित

निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2017 की पूर्व जानकारी अपीलांट को होना प्रमाणित नहीं है, तद्नुसार उसके द्वारा दिये गये दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन एवं अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अपीलांट्स के पुर्वाधिकारी अब्दुल सत्तार एंव रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के विरूद्ध अपीलांट्स के पुर्वाधिकारी एवं अन्य के पक्ष में पारित नामांतरकरण संख्या 3859 दिनांक 07.04.2004 एवं 5408 दिनांक 29.09.2010 से स्वीकृत करने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 77/2014 अपील (राजस्व) निर्णय दिनांक 22.12.2017 से रेस्पोडेंट संख्या 1 की अपील स्वीकार किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि भीण्डर की आराजी संख्या 3153 से 3155 किता 3 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि में दाउद पिता मोहम्मद बक्ष पिंजारा का 1/3 हिस्सा था। उक्त हिस्से को दिनांक 21.08.2000 को अपने पौत्र मोहम्मद रज्जा पिता अब्दुल सत्तार पिंजारा को अपनी सेवा चाकरी से खुश होकर वसीयत कर दी थी। जिसका पंजीयन दिनांक 24.08.2000

को रेस्पोडेंट संख्या 1 मोहम्मद रज्जा के पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित करवाया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह ज्ञात होता है कि वक्त वसीयत पत्र निष्पादन के समय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्णित रेस्पोडेंट संख्या 2 व 4 उपस्थित थे तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्णित रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 द्वारा भी अपने जवाब में यह तथ्य स्वीकार किया है।

- रेस्पोडेंट संख्या 1 मोहम्मद रज्जा द्वारा दाउद की मृत्यु के बाद में वसीयत के आधार पर समय रहते नामांतरकरण अपने नाम नही करवाने से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्णित रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा भूमि का नामांतरकरण जरिये विरासत से अपने नाम पर दर्ज करवा दिया गया। जिसका नामांतरकरण 3859 दिनांक 07.04.2004 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्णित रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से में आयी भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 5 आजाद हुसैन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी गई, जिसका नामांतरकरण संख्या 5408 दिनांक 29.09.2010 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया। उक्त समस्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्णित रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा यह ज्ञात होते हुए की गई कि मूल खातेदार दाउद द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भूमि का रजिस्टर्ड वसीयत पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 मोहम्मद रज्जा के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया है। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्णित रेस्पोडेंट द्वारा विरासत से नामांतरकरण खुलवा दिया गया है, जो अवैध प्रतीत होता है।

- अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, भीण्डर द्वारा निर्णित नामांतरकरण संख्या 3859 दिनांक 07.04.2004 एवं नामांतरकरण संख्या 5408 दिनांक 29.09.2010 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय उप

तहसीलदार, भीण्डर को स्वर्गीय श्री दाउद द्वारा निष्पादित वसीयत पत्र दिनांक 24.08.2020 जो रेस्पोडेंट संख्या 1 मोहम्मद रज्जा पिता अब्दुल सत्तार पिंजारा मुसलमान के पक्ष में पंजीयन करवाया गया है उसके आधार पर नये सीरे से नामांतरकरण की कार्यवाही करने का जो आदेश दिया गया वह उचित प्रतीत होता है।

- उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है। उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहिन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 22.12.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर